

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

पटना, तारीख:.....


सं.....रा0 सूचि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम पैनाल चादर-2, थाना नं0 70, सर्वे थाना-गनेर, परगना-गनेर, जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विहटा सर्वेस राज्य उच्च पथ सं0-78 के निर्माण के लिए सरकारी स्वयं पर सरकार द्वारा जमीन टी जमीन अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-पैनाल चादर-2, थाना नं0-70 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वेश 0.08 एकड़ के बराबर होता है और जिराका सर्वेस संख्या 5715 अंश है और जिसकी चौहदारी निम्न प्रकार है-

उत्तर : खेरास संख्या 5716 का अंश
पूरव : खेरास संख्या-5715 का अंश
दक्षिण : खेरास संख्या-5714 का अंश
पश्चिम : खेरास संख्या-5722 एवं 5723 का अंश

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के संबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे सप महाप्रबंधक, तकनीकी परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, विहारशरीफ, के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूद पर अपने और सहायक संरक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबधित या दिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित विषादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निम्नलिखित है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के अन्वये लागू नहीं होगी।


राजेंद्र
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से

६०

सरकार के सचिव

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं अभिरामपत्रक विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को शीघ्र उपलब्ध करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप सभाहर्ता, जिला मजद, सभासभालय, पटना को जिला मजद के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. सभाहर्ता/अपर सभाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।